कार्यालय : प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरूआसागर, झाँसी।

पत्रांक : डायट / वि.बी.टी.सी. 2008 (विशेष चयन) / / 2009–10 / दिनांक :

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी.टी.सी. 2008 (विशेष चयन) के संदर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या 1186/15.11.2008 दिनांक 14 नवम्बर 2008 के प्रति प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में 17 सीटों के सापेक्ष तृतीय जांच सूची के उपस्थित एवं अर्ह अभ्यर्थी की तृतीय अनन्तिम चयन सूची निर्गत कर दी गयी है। सम्बंधित सूची एवं कट ऑफ मेरिट संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक, झाँसी के कार्यालय तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी के कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा है। इस सूची के अभ्यर्थी **website-http//jhansi.nic.in** पर या **www.scertup.org** के **home page** पर बने "**link of the first list for verification of original Documents**" पर क्लिक करके देख सकते है। सूची से संबंधित अभ्यर्थी रूपये 10/– के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) के साथ निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र एवं अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र तथा उनके दो सेट छायाप्रति (स्वप्रमाणित) एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर और टैग के साथ दिनांक 28.01.2010 को संस्थान में प्रातः 10:00 बजे उपस्थित हों।

तृतीय अनन्तिम चयन सूची की कट आफ मेरिट का विवरण

वर्ग/श्रेणी	कट ऑफ मेरिट	जांच की तिथि	छूटे हुये अभ्यर्थी
पुरूष/अनुसूचित जाति/कला	220.87	28.01.2010	29.01.2010
पुरूष/अ0पि0व0/कला	239.17	28.01.2010	29.01.2010
महिला/अनुसूचित जाति/कला	221.52	28.01.2010	29.01.2010
महिला/अ0पि0व0/कला	235.94	28.01.2010	29.01.2010
महिला/अ0पि0व0/विज्ञान	250.02	28.01.2010	29.01.2010

- जारी की गयी तृतीय अनन्तिम चयन सूची किसी भी रूप में अन्तिम चयन सूची नही है, तथा रिशफलिंग तथा अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की निर्गमन संस्था से सत्यापन के अधीन होगी।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में मूल अभिलेख जमा करने हेतु उपस्थित नही होते हैं तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नही किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नही किया जायेगा।
- जारी की गई तृतीय अनन्तिम चयन सूची मा. उच्च न्यायालय/मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं किसी भी लिपिकीय त्रुटि के संज्ञान के अधीन होगी।

(बी. पी. पटेल)
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
बरूआसागर, झाँसी।